पत्रांक- 3ए-3-भत्ता-01/2017-8045/वि०

बिहार सरकार

वित्त विभाग

संकल्प

पटना, दिनांक : 11/10/2017

विषयः- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में पुलिस कर्मियों के विभिन्न भत्तों के वर्त्तमान दरों में संशोधन के संबंध में।

केन्द्रीय सप्तम वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों के वेतन एवं भत्तों का पुनरीक्षण किया गया है। उक्त के आलोक में केन्द्रीय कर्मियों की भाँति राज्य कर्मियों को पुनरीक्षित वेतन तथा भत्ते आदि पर सम्यक् अनुशंसा देने के लिए राज्य सरकार द्वारा राज्य वेतन आयोग का गठन किया गया।

2. राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा वित्त विभागीय संकल्प संख्या-3590, दिनांक-24/05/2017 द्वारा दिनांक-01/01/16 के प्रभाव से पुनरीक्षित वेतन संरचना की स्वीकृति दी गई है।

3. राज्य वेतन आयोग द्वारा अपने प्रतिवेदन (Volume-II) के अध्याय-3 में पुलिस कर्मियों के लिए पुनरीक्षित वेतन संरचना के आधार पर विभिन्न भत्तों के संशोधित दरों के सम्बन्ध में अनुशंसा की गई है। उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिए जाते है:-

(A) राशन मनी भत्ता (Ration Money Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-12416, दिनांक-31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से पुलिस के अराजपत्रित कर्मियों को रु० 1000/- प्रतिमाह तथा संकल्प संख्या-5027, दिनांक-17/05/2013 द्वारा मई, 2013 के प्रभाव से आरक्षी कर्मियों के लिए रु० 2000/- प्रतिमाह की दर से राशन मनी भत्ता की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में राज्य सरकार द्वारा उक्त दरों को निम्नरूपेण संशोधित करने का निर्णय लिया जाता है:-

- **आरक्षी कर्मी** (निरीक्षक/अवर निरीक्षक/सहायक अवर निरीक्षक/हवलदार/सिपाही) :- – रु० 3000/- प्रतिमाह
- बिहार पुलिस विंग के कोटि-IV के कर्मी :- – रु० 2500/- प्रतिमाह

(B) वर्दी भत्ता (Uniform Allowance):- राज्य वेतन आयोग की अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों को निम्नलिखित दर से वर्दी भत्ता स्वीकृत/संशोधित किया जाता है:-

क्र०सं०	पदनाम	स्वीकृत/संशोधित दर
1.	बिहार आरक्षी सेवा के पदाधिकारी	रु० 12000/- प्रतिवर्ष
2.	सहायक अवर निरीक्षक से आरक्षी निरीक्षक तक	रु० 11000/- प्रतिवर्ष
3.	हवलदार / सिपाही	रु० 10000/- प्रतिवर्ष

उक्त वर्दी भत्ता की दरों में धुलाई भत्ता भी शामिल है।

(C) वाहन भत्ता (Vehicle Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प सं०-12416, दिनांक-31/12/2009 द्वारा दिनांक-01/01/2010 के प्रभाव से बिहार पुलिस के कर्मियों के लिए वाहन भत्ता के पुनरीक्षित दर की स्वीकृति दी गई थी।

राज्य वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा वाहन भत्ता की दर को निम्नरूपेण संशोधित किया जाता है:-

- सहायक अवर निरीक्षक से निरीक्षक तक - रु० 2500/- प्रतिमाह
- हवलदार/सिपाही - रु० 200/- प्रतिमाह
- बिहार पुलिस सेवा के पदाधिकारियों को पूर्व से देय वाहन भत्ता की सुविधा समाप्त की जाती है।

(D) चालक भत्ता (Driver Allowance):-

पुलिस चालकों के लिए **रु० 1000/- प्रतिमाह**

(E) राईफल भत्ता (Rifle Allowance):-

पूर्व स्वीकृत राशि 60/- रुपये से बढ़ाकर **100/- रुपये प्रतिमाह** करने का निर्णय लिया जाता है।

(F) कमांडो भत्ता (Commando Allowance):- वित्त विभागीय संकल्प संख्या- 12416, दिनांक-31/12/2009 कमांडो भत्ता की स्वीकृति दी गई थी। राज्य वेतन आयोग द्वारा उक्त भत्ता को समाप्त किये जाने की अनुशंसा की गई है।

उक्त अनुशंसा के आलोक में सम्यक् विचारोपरान्त राज्य सरकार द्वारा पूर्व से देय कमांडो भत्ता को समाप्त करने का निर्णय लिया जाता है।

(G) दैनिक विराम भत्ता (Daily Halting Allowance):- बिहार पुलिस के कर्मियों (कोटि-IV सहित) को राज्य कर्मियों के लिए स्वीकृत दैनिक भत्ता (Daily Allowance) के दर से दैनिक विराम भत्ता देय होगा।

4. उपरोक्त भत्तों की संशोधित दरें बिहार अग्निशमन / वितन्तु / वन / कारा / परिवहन / उत्पाद विभाग के समकक्षीय पदों के लिए भी अनुमान्य होगा।

5. यह आदेश तात्कालिक प्रभाव से लागू होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

3A/ Police-Allowance_7th\Anil

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8045**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एवं ह०), बिहार, वीरचंद पटेल मार्ग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8045**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: राज्यपाल के प्रधान सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी पुलिस अधीक्षक/सभी कोषागार पदा०/उप कोषागार पदाधिकारी/सभी जिला लेखा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8045**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: महानिबंधक, उच्च न्यायालय, पटना/सचिव, बिहार विधान सभा/सचिव, बिहार विधान परिषद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।

ज्ञापांक: 3ए-3-भत्ता-01/2017-**8045**/वि० पटना, दिनांक:-**11/10/2017**

प्रतिलिपि: अवर सचिव, वेतन निर्धारण शाखा/अवर सचिव, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग/ श्रीमती रश्मि रेखा, सिस्टम एनालिस्ट, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(राहुल सिंह)

सचिव (व्यय), वित्त विभाग।